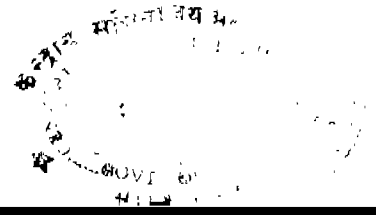




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II, Section 3 - Sub-section (ii)



प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 464]
No. 464]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 21, 1990/श्रावण 30, 1912
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 21, 1990/SRAVANA 30, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1990

का.आ. 642 (अ):-:केन्द्रीय सरकार, व्यापार और पण्य वस्तु बिहून प्रधिनियम, 1958 (1958 का 43) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना स.का.आ. 2601, तारीख 25 नवम्बर, 1959 का निम्नलिखित संशोधन करती है। अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में :-

“मुम्बई स्थित व्यापार बिहून रजिस्ट्री का कार्यालय

कलकत्ता स्थित व्यापार बिहून रजिस्ट्री का कार्यालय

ओखला औद्योगिक एस्टेट (दिल्ली) स्थित व्यापार बिहून रजिस्ट्री का कार्यालय।

मद्रास स्थित व्यापार बिहून रजिस्ट्री का कार्यालय

शान्दी और कोण्डकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे,
अर्थात्:-

“ग्रहन्वाबाद स्थित व्यापार बिहून रजिस्ट्री का कार्यालय

महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश राज्य तथा गोवा, दमन और दीव
तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र।

असम बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्य तथा अंवलान और
निकोबार द्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र।

जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य तथा दिल्ली
और हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र।

आंध्र प्रदेश, केरल, मद्रास और मैसूर राज्य तथा पाण्डिचेरी और लक्षद्वीप,
मिनिकोय और अमीनदादी द्वीप संघ राज्यक्षेत्र”।

गुजरात और राजस्थान राज्य तथा दमन, दीव, दादरा और नागर
हवेली संघ राज्यक्षेत्र।

मुम्बई स्थित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय

कलकत्ता स्थित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय

नई दिल्ली स्थित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्यालय

मद्रास स्थित व्यापार चिह्न का कार्यालय

गुजरात, मध्यप्रदेश और गोवा राज्य।

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी, बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र।

जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र।

आंध्रप्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य तथा पांडिचेरी और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र।”।

2. इस अधिसूचना के प्रवृत्ति होने की तारीख को रजिस्ट्रार के समस्त किए गए या किये जा रहे प्रत्येक आवेदन और कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि ये व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय को अंतरित की गई हैं।

3. व्यापार और पंज-बंदु चहूत अधिनियम, 1958 के उद्देश्यों के अंतर्गत किंवा ऐसे मुद्दों पर जो इस अधिसूचना की तारीख की किसी न्यायालय में पहले से ही लंबित हैं इस संशोधन के कारण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 15/11/90 पीपी एंड सी]

एन.के. साबरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 1990

S.O. 642(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 2601 dated the 25th November, 1959, namely:

In the said Notification, for the words and brackets:

Office of the Trade Marks Registry at Bombay	The States of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh, and the Union Territories of Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
Office of the Trade Marks Registry at Calcutta.	The States of Assam, Bihar, Orissa and West Bengal and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Manipur and Tripura.
Office of the Trade Marks Registry at Okhla Industrial Estate (Delhi)	The States of Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh and the Union Territories of Delhi and Himachal Pradesh.
Office of the Trade Marks Registry at Madras.	The States of Andhra Pradesh, Kerala, Madras and Mysore and the Union Territories of Pondicherry and Laccadive, Minicoy and Amindiv Islands.”,

The following words shall be substituted, namely:

“Office of the Trade Marks Registry at Ahmedabad.	The States of Gujarat and Rajasthan and the Union Territories of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli.
Office of the Trade Marks Registry at Bombay.	The States of Maharashtra, Madhya Pradesh and Goa.
Office of the Trade Marks Registry at Calcutta.	The States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Orissa, West Bengal, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Sikkim and Tripura and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands.

Office of the Trade Marks
Registry at New Delhi.

The States of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and the Union Territories of Delhi and Chandigarh.

Office of the Trade Marks
Registry at Madras.

The States of Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka and the Union territories of Pondicherry and Lakshadweep.”.

2. Every application and proceedings made or pending before the Registrar on the date of coming into force of this notification shall be deemed to have been transferred to the appropriate office of the Trade Marks Registry, as amended.

3. Any litigation under the provisions of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 already pending in any court on the date of this notification shall not be affected by this amendment.

[File No. 15/11/90-PP&C]

N.K. SABHARWAL, Jt. Secy.

